WESTERN U.P.
CHAMBER OF COMMERCE
& INDUSTRY

MASIK PATRIKA
OCTOBER 2025

✉:wupcci01@gmail.com
wupcc23@yahoo.com
✆: 0121-2661177
0121-4346686
Website: www.wupcc.org
Address: Bombay Bazar,
Meerut Cantt- 250001

- **Patron**

  Dr. Mahendra Kumar Modi

  Dr. Ram Kumar Gupta

- **President**

  Dr. Brij Bhushan

- **Sr. Vice President**

  Shri Ajay Gupta

- **Jr. Vice President**

  Shri Girish Kumar

  Shri Rahul Gupta

- **Secretary / Editor**

  Smt Sarita Agarwal

  Patrika Committee

- **Chairman**

  Shri Rahul Das

- **Co-Chairman**

  Shri Sushil Jain

- **Members**

  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)

  Shri Rakesh Kohli

  Shri Trilok Anand

  Shri Rajendra Singh

  Shri Atul Bhushan Gupta

- **Co-Editor**

  Ms. Khushi

INDEX

- बैंक खाताधारक बना सकेंगे चार नॉमिनी, दावा निपटान में आएगी तेजी
- साइबर ठगी का जाल, जागरूकता के हथियार से करें बचाव
- Govt eases Certificate of Origin for India-EFTA exports
- UPI Transactions In India Jump 35% In H1 2025, Touch Rs 143 Lakh Crore: Report
- GST relief fuels India's car upgrade wave, EV optimism, says study
- RBI proposes new infrastructure risk weights for NBFCs
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक 15 नवंबर तक कराए कार्ड का नवीनीकरण
- भानु चंद्र मेरठ के नए कमिश्नर, पविविनिलि के एमडी बने रवीश
- कोआपरेटिव सोसाइटी या कंपनी बनाकर निजी औद्योगिक पार्क विकसित करेंगे उद्यमी
- पंजीकरण के बाद मोबाइल नंबर बदलकर हो रही टैक्स चोरी
- Commerce and Industry Minister Launches Second Edition Of One Lakh Cr Start-up Fund 'Anusandhan'
- ITR & Audit Deadline Ext ended: November 10 for Audit Reports, December 10 for ITR
- Indian economy likely to grow faster than expected 6.6% in FY26
- Delhi Govt, CGTMSE Launch Rs 55 Cr Collateral-Free Loan Scheme For MSMEs & Women Entrepreneurs
- National Traders' Welfare Board Deliberates On Retail Trade Policy & GST Reforms
- GST rationalisation to boost organised apparel retail revenue growth by 200 bps: Crisil Ratings

- **Assets under management of NPS and APY cross Rs 16 lakh crore-mark**
- **UP Govt Notifies MSME Industrial Estate Policy 2025, Introduces E-Auction For Plot Allotment**
- **नौकरी छोड़ने पर पीएफ खाते से निकासी की उलझन दूर हुई**
- **होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में नियोजित श्रमिकों को देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता**

बैंक खाताधारक बना सकेंगे चार नॉमिनी, दावा निपटान में आएगी तेजी

बैंक ग्राहक अपने अब अधिकतम चार नॉमिनी का विकल्प चुन सकते हैं। इससे न सिर्फ बैंकिंग दावों के निपटान में तेजी आएगी बल्कि प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में भी मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत यह सुविधा एक नवंबर से लागू हगी। यह अधिनियम 15 अप्रैल, 2015 को अधिसूचित किया गया। इसके तहत भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम-1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय स्टेट बैंक नियम 1955 और बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970 और 1980 सहित पांच कानूनों में कुल 19 संशोधन किार गए हैं। वित मंत्रालय के मुताबिक, इन संशोधनों के अनुरूप बैंक ग्राहक अपने खातों में एक साथ या क्रमवार से चार व्यक्तियों तक को नॉमिनी बना सकते हैं। इससे खाताधारक या उनके वैध उत्तराधिकारियों को दावा निपटान में सुविधा होगी। लॉकरों में रखी वस्तुओं के लिए केवल क्रमिक नामांकन की ही मंजूरी होगी।

जमा खातों के लिए दो तरह की नॉमिनेशन

एक साथ नामांकन : खाताधारक चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं और प्रत्येक का हिस्सा (शेयर या फीसदी) तय कर सकता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि कुल हिस्सा 100 फीसदी के बराबर हो।

क्रमवार नामांकन : इसमें दूसरा नॉमिनी तभी सक्रिय होगा, जब पहले नॉमिनी का निधन हो जाएगा। यह सुविधा डिपॉजिट अकाउंट, सेफ. कस्टडी और लॉकर सुविधाओं के लिए लागू होगी।

सभी बैंकों में समान रूप से लागू होंगे नियम

बैंकिंग कंपनियां (नामांकन) नियम, 2025 भी आने वाले समय में अधिसचित किए जाएंगे। इनमें नामांकन करने, निरस्त करने या बर नामांकन की प्रक्रिया और उसके लिए जरूरी फॉर्म का विवरण होगा। इससे सभी बैंकों में यह नियम समान रूप में लागू होंगे। सरकार ने इससे पहले 29 जुलाई, 2025 को आरी अधिसूचना हैं। कहा था कि अधिनियम की कुछ धाराएं एक अगस्त से प्रभावी हो चुकी इस अधिनियम में सहकारी बैंकों के निर्देशकों के कार्यकाल को भी युक्तिसंगत बनाया गया है। सेयरमैन एवं पूर्णकालिका निदेशक को छोड़कर अन्य निदेशकों के लिए अधिकतम कार्यकाल 8 साल से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।

इससे निपटान में निरंतरता और उत्तराधिकार की स्पष्टता सुनिश्चित होगी। इन प्रावधानों के कार्यन्वियन के बाद बैंक जमाकर्ताओं को अपनी पसंद के अनुसार नामांकन करने की सुविधा मिल सकेगी।

- **सेफ कस्टडी और लॉकर में सिर्फ क्रमवार नॉमिनेशन :** बैंकों में लॉकर सुविधा और सेफ कस्टड़ों के लिए सिर्फ क्रमवार नॉमिनेशन को ही अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब है कि एक नामित व्यक्ति के निधन के बाद ही अगला नामित व्यक्ति उसका अधिकार प्राप्त करेगा, ताकि दावा प्रक्रिया सरल और विवादमुक्त रहे।

साइबर ठगी का जाल, जागरूकता के हथियार से करें बचाव

साइबर अपराध ऐसी आपराधिक गतिविधि है, जिसमें बिना हथियार और खून खराबे के पलक झपकते ही ठगी कर ली जाती है। इस अपराध के शिकार लोग रोजाना लोग खून-पसीने की कमाई गंवा रहे हैं। हजारों मील दूर देश-विदेश में बैठे ये अपराधी साइबर ठगी के नित नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। पुलिस के लिए भी साइबर क्राइम बड़ी चुनौती बना है। आने वाले दिनों में यह और बढ़ेगा, इसलिए पुलिस खुद को अपडेट करने में जुटी है ताकि साइबर अपराधियों से निपट सके। साइवर अपराधियों से निपटने की कवायद कहां तक पहुंची, साइबर क्राइम का क्या है नया ट्रेंड, इसे लेकर एसपी क्राइम से बातचीत की गई। उन्होंने साइबर ठगी को लेकर तैयारियों की जानकारी दी। कहा, इसके लिए लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा।

स्कैम होने के बाद यह करें

cybercrime.gov.in वेबसाइट पर फाइल कंप्लेट पर फिर सिटिजन लागिन पर क्लिक करें। डिटेल्स भरकर सबमिट करें। स्क्रीनशाट और फाइल्स शेयर कर शिकायत सबमिट करें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी शिकायत कर सकते हैं।

साइबर ठगी से चचना है तो ये सतर्कता भी बरतें

- अनजान नंबर से आई काल पर बातचीत में सतर्कता बरतें। ऐसे किसी एप या लिंक का प्रयोग न करें।

- कोई वित्तीय संस्थान, बैंक, एजेंसी, इंश्यारेस कंपनी, सरकारी विभाग सीधे बातचीत कर आनलाइन जानकारी नहीं मांगता है। न ही कोई ओटीपी मांगकर घर बैठे सुविधा उपलब्ध कराता है।

▪ अनजान साइट पर जानकारी सर्च करने से बचें, व्यक्तिगत जानकारी इंटरनेट मीडिया पर कतई साझा न करें।
▪ इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए इंटरनेट पर किसी साइट या नंबर पर भरोसा करने से पहले जांच पड़ताल कर लें।
▪ किसी भी कलर, साइट या कंपनी पर विश्वास कर इन्वेस्टमेंट न करें।
▪ प्रशासनिक पुलिस अधिकारी बनकर कोई कार्रवाई की धमकी दे तो विश्वास न करें। पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं।
▪ अपने एटीएम, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल स्क्रीन लाक, आधार कार्डव पेन कार्ड की जानकारी किसी से साझा न करें।
▪ लालच में आकर अपने बैंक अकाउंट, एटीएम किसी को प्रयोग करने को न दें। न ही किसी के कहने पर अपना खाता खुलवाकर यह सामग्री उन्हें दें।
▪ साइबर ठगी का शिकार होने पर सबसे पहले राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर जा कर वेबसाईट cybercrime.gov.in पर भी लिखित शिकायत दर्ज करें।
▪ अपने एटीएम का पासवर्ड और ई-मेल का पासवर्ड बदलते रहें। अपने डिवाइस के आपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और सुरक्षा साफ्टवेयर को अपडेट करते रहे।
▪ सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क पर संवेदनशील लेन-देन करने से बचे। डिजिटल पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग करते समय सतर्कता बरतें।
▪ अपने पासवर्ड मजबूत बनाए, ताकि कोई कापी न कर पाए। मोबाइल व बैंक अकाउंट पर टू-स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करें।

Govt eases Certificate of Origin for India-EFTA exports

The Directorate General of Foreign Trade (DGFT) said it has amended a provision to facilitate domestic exporters to obtain the Certificate of Origin (CoO) under the India-EFTA free trade agreement, through self-declaration.
The FTA between India and the four-nation European Free Trade Association came into effect October 1. Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland are the EFTA members.
A certificate of origin is required for claiming duty concessions under free trade agreements as it proves where the goods originate.
A paragraph of the Handbook of Procedures 2023 "has been amended to facilitate exporters to obtain the CoO under the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) through self-declaration, in addition to the existing system of issuance of CoO by the authorised agencies," the DGFT said in a public notice.
To simplify the certification process for exporters and enhance trade efficiency, the government earlier this year upgraded its system of issuing electronically generated certificates of origin to help exporters.

UPI Transactions In India Jump 35% In H1 2025, Touch Rs 143 Lakh Crore: Report

India's Unified Payments Interface (UPI) continues to dominate the country's digital payments landscape, with transactions surging 35 per cent year-on-year (YoY) to reach 106.36 billion in the first half of 2025, data showed.
The total value of these transactions stood at a massive Rs 143.34 lakh crore -- highlighting how deeply digital payments have become a part of everyday life in India, according to Worldline's India Digital Payments Report (1H 2025).
According to the report, the average UPI transaction size fell from Rs 1,478 in the first half of 2024 to Rs 1,348 in the same period of 2025.
This decline indicates that people are using UPI more frequently for small, daily purchases -- from tea stalls and grocery stores to online shopping.
Notably, person-to-merchant (P2M) transactions grew 37 per cent to 67.01 billion, driven by what Worldline calls the "Kirana Effect," where small and micro businesses have become the backbone of India's digital economy.
India's QR-based payment network also saw tremendous growth, more than doubling to 678 million by June 2025 -- a 111 per cent rise from January 2024.
The number of Point-of-Sale (PoS) terminals grew 29 per cent to 11.2 million, while Bharat QR touched 6.72 million.

GST relief fuels India's car upgrade wave, EV optimism, says study

While GST reductions on cars fueled a rebound in sales in the festive season, around 80 per cent of buyers surveyed used the tax relief to switch to a higher model, better brand, or premium add-ons, rather than saving the difference, a study has found.

The study by consumer-intelligence and market-research platform SmyttenPulse AI stated that SUVs remain the popular choice for buyers, while environmental consciousness is driving a sharp rise in EV consideration despite infrastructure gaps.

The 'Post GST Car Buying Behaviour trends' study was conducted among more than 5,000 people in October 2025 across Tier 1, 2 and 3 cities.

"GST cuts have acted as a catalyst, but the larger story is behavioural: buyers are upgrading, not downsizing. Nearly 79 per cent of respondents said they are using GST savings to switch to a higher model, better brand, or premium add-ons, rather than saving the difference," the study noted.

Over 60 per cent plan to upgrade to higher variants within the same brand and 46 per cent have already moved up to a larger vehicle category, from hatchbacks to SUVs, it said.

SUVs dominate new purchase intent, and environmental consciousness is driving a sharp rise in EV consideration as 67 per cent of respondents said ecological benefits drive EV interest despite battery concerns and high replacement cost.

Financial confidence is clearly rebounding, as more buyers (53 per cent) are ready to make higher down payments or take longer loan tenures, while trust in policy and industry incentives is sustaining optimism, the study noted.

"GST cuts have done more than make cars affordable, they've reignited aspiration," said Swagat Sarangi, cofounder, Smytten PulseAI.

"The middle-class buyer is using this moment to stretch upward, from base variants to top trims, from budget brands to feature-rich models." PTI IAS MR MR

RBI proposes new infrastructure risk weights for NBFCs

The Reserve Bank of India (RBI) on Friday introduced targeted amendments to its scale-based regulation framework for non-banking financial companies (NBFCs), proposing a refined approach to risk weights for infrastructure exposure.

The 2025 amendments revise the risk weight structure with loans to high-quality infrastructure projects where the obligor who has repaid at least 10% of the sanctioned amount will attract a reduced risk weight of 50%. If the repayment is between 5% and 10%, the risk weight increases to 75%.

Projects that fail to meet these standards will be subject to higher risk weights under other categories, ensuring a risk-sensitive and performance-linked regulatory approach, according to a circular by the central bank.

Under the new amendment, infrastructure projects are classified as high-quality infrastructure projects that has completed at least one year of satisfactory operations post-commercial launch is classified as a standard asset, and revenue dependence on a central government or public sector entity with contractual certainty of payments.

Additionally, such projects must offer robust creditor protections, including escrow of cash flows and legal first claim over assets, along with adequate financial arrangements and restrictions on issuing additional debt without creditor consent. These amendments are set to take effect from April 1, 2026, or earlier if adopted in full by an NBFC. RBI has invited feedback on the draft guidelines by November 21.

पंजीकृत निर्माण श्रमिक 15 नवंबर तक कराए कार्ड का नवीनीकरण

श्रम विभाग के उप श्रमायुक्त ने बताया कि निर्माण से संबंधित 40 प्रकार की प्रक्रियाओं के श्रमिकों का पंजीकरण कराया जाता है। श्रमिकों को बोर्ड द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं जैसे मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना व अटल आवासीय विद्यालय योजना का लाभदिया जाता है। इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को अंशदान जमा करके पंजीयन कार्ड का नवीनीकरण कराना होता है। यह नवीनीकरण कराने के लिए 15 अक्टूबर आखिरी तारीख थी, लेकिन अभी बड़ी संख्या में श्रमिकों ने नवीनीकरण नहीं कराया है। इसलिए बोर्ड द्वारा यह तारीख बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है। यदि 15 नवंबर तक भी श्रमिक अपना नवीनीकरण नहीं कराते हैं तो उन्हें निष्क्रिय सूची में डाल दिया जाएगा और फिर इसके बाद उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

भानु चंद्र मेरठ के नए कमिश्नर, पविविनिलि के एमडी बने रवीश

भानु चंद्र गोस्वामी को मेरठ का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद राजस्व विभाग के सचिव रविश गुप्ता आयुक्त के पद पर तैनात किए गए हैं। डीएम बस्ती रविश गुप्ता पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक होंगे। वर्तमान प्रबंध निदेशक ईशा दुहन को सहकारी चीनी मिल लखनऊ का प्रबंध निदेशक बनाया गया।

2009 बैच के आइएएस व राजस्व विभाग के सचिव एंव आपदा राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी को मेरठ मंडल के कमिश्नर पद पर तैनात किया गया है। वह रांची के मूल निवासी हैं। उन्होंने संस्कृत (आनर्स) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह वाराणसी, श्रावस्ती, लखनऊ, जौनपुर और प्रयागराज जैसे जिलों में डीएम रह चुके हैं। ऋषिकेश भास्कर यशोद ने मेरठ मंडलायुक्त के रूप में लगभग दस महीने काम किया। सहारनपुर मंडलायुक्त के पद से कार्यमुक्त होकर 20 जनवरी 2025 को हृषिकेश भास्कर यशोद ने मेरठ के मंडलायुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक एस तैनात हुए रवीश गुप्ता 2012 बैच के आइएएस हैं। मेरठ में एसडीएम सदर रह चुके हैं। वह बस्ती से पहले संतकबीरनगर और सुलतानपुर जिले के डीएम रह चुके हैं। पश्चिमांचल विद्युत वितरण। निगम की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन ने लगभग 20 महीने इस पद पर जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने 3 मार्च 2024 को कार्यभार संभाला था

कोआपरेटिव सोसाइटी या कंपनी बनाकर निजी औद्योगिक पार्क विकसित करेंगे उद्यमी

गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बिजौली में प्रस्तावित अरकारी औद्योगिक क्षेत्र में एमएसएमई के लिए छोटे प्लाट नहीं मिल पाएंगे, इसलिए उद्यमियों ने विचार किया है कि वे आपस में मिलकर निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कोआपरेटिव सोसाइटी या फिर कंपनी बनावर 40 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल का औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए। यह मंथन परतापुर विचार उद्योग मंदिर में औद्योगिक संगठनों ने किया।

• मिडफो और पीएमा की संयुक्त बैठक में फ़िस्में ने सुझाया स्वयं पहल करने का विकल्प

• फ़िस्में के उपाध्यक्ष ने बताया सोनीपत में उद्यमी मिलकर विकसित कर रहे औद्योगिक क्षेत्र

मेरठ में निजी क्षेत्र की भागीदारी से औद्योगिक पार्कों के विकास की संभावनाओं पर मेरठ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फोरम (**मिडफो**) और परतापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (**पीएमा**) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। इसमें फेडरेशन आफ इंडियन माइक्रो एंड स्माल, मीडियम एंटरप्राइजेज (फिस्से) के पदाधिकारियों ने विभिन्न विकल्प सुझाए।

(**फ़िस्में**) के संस्थापक मुख्य अतिथि तथा फ़िस्में के उपाध्यक्ष मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। पीएमा के अध्यक्ष ने कहा कि मेरठ में पिछले 35 वर्षों से कोई नया सरकारी औद्योगिक एस्टेट नहीं बना है। गंगा एक्सप्रेसवे पर बिजौली में यूपीडा द्वारा एक नया औद्योगिक एस्टेट विकसित किया जा रहा है, परंत केवल 12 हजार वर्ग मीटर या उससे बड़े भूखंड ही उपलब्ध होंगे। इससे एमएसएमई वंचित यह जाएंगे। छोटे उद्योगों को दी हजार वर्ग मीटर के भूखंड पर भी काम शुरू करने की आवश्यकता होती है। सरकार को छोटे उद्योगों के लिए अलग नीति बनानी चाहिए। मुख्य वक्ता व फ़िस्में के उपाध्यक्ष ने बताया कि हरियाणा के सोनीपत में उन्होंने कुछ उद्यमियों को साथ जोड़कर निजी औद्योगिक पार्क का विकास किया है। उसमें अंडरग्राउंड केबल, चौड़ी सड़कें, जल निकासी, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। संयुक्त एसटी, बायलर, कार्यालय, मीटिंग हाल अदि रखा गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक प्राइवेट लिमिटेड कपनी बनाकर या कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर औद्योगिक एस्टेट का विकास किया जा सकता है जिसमें विभिन्न आकार के भूखंड उद्यमियों को दिए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार से सब्सिडी और सहयोग प्राप्त करने के स्पष्ट प्रावधान हैं।

यदि यहां के उद्यमी तैयार होते हैं तो यह डीपीआर बनाने से लेकर सरकारी प्रक्रिया तक में सहयोग करेंगे। दिनेश सिंघल ने कहा कि फिस्मे की ओर से प्रदेश सरकार को पत्र भेजा जाएगा, जिसमें निजी औद्योगिक पाकों के लिए अधिकतम सहयोग, वित्तीय सहायता और सब्सिडी दिए जाने का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बिजौली औधोगिक क्षेत्र में भी एमएसएमई के लिए औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भूमि आवंटन का भी अनुरोध करेंगे। उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र ने बताया कि राज्य सरकार अब 10 से 50 एकड़ तक के निजी औद्योगिक एस्टेट के लिए पूर्ण सहयोग दे रही है। इसके लिए भूउपयोग साही होना चाहिए 12 मोटर रोड की चौड़ाई पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट को समिति से अनुमोदन के बाद लेटर आफ कंफर्ट जारी किया जाता है, जिससे विकास कार्य के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ऐसे प्रोजेक्ट को 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की छूट दे गी है पर यह अनिवार्य है कि 75 प्रतिशत भूखंड एमएसएमई के लिए आवंटित किए जाएं। निपुण जैन ने जानकारी दी कि जल्द ही उद्यमियों का एक ग्रुप बनाकर चर्चा की जाएगी। उसके बाद यदि उद्यमी तैयार हुए तो जमीन ख़रीदने व डीपीआर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पंजीकरण के बाद मोबाइल नंबर बदलकर हो रही टैक्स चोरी

जीएसटी पोर्टल की खामियों का फायदा उठाकर लोहे के कारोबार में करोड़ों की टैक्स चोरों का संगठित जाल बुन दिया गया है। फर्मे जिस मोबाइल नंबर से पंजीकरण कराती हैं, कुछ ही समय बाद उसे बदल देती हैं और नए नंबर से ई-वे बिल जारी करने लगती हैं।जीएसटी पोर्टल में मोवाइल परिवर्तन को सूचना स्वतः अपडेट न होने की वजह से विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगती। इस तरह एक ही मोबाइल पंजीकरण नंबर पर सैकड़ों फमों का होने के बावजूद विभाग को कोई जानकारी नहीं हो पाती। इसका फायदा उठाकर लोहे की फर्मों द्वारा टैक्स चोरी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जीएसटी व्यवस्था में हजारों सुधार के बावजूद टैक्स चोरी पर लगाम नहीं लग पा रही है। विभाग के मुताबिक यही वजह है कि अकेले यूपी में 10 हजार करोड़ से ज्यादा जीएसटी चोरी का अनुमान है, जिसमें लोहे के सिंडीकेट की बड़ी भूमिका है। लोहे में बड़े पैमाने पर हो रही टैक्स ओसे के लिए राज्य कर विभाग बड़े स्तर पर अभियान लेडनेकी तैयारी में है। लेकिन जीएसटी पोर्टल की खामियां विभाग के लिए चुनौती बनी है

दूसरे राज्यों में भी पंजीकरण

एक ही मोबाइल नंबर से सैकड़ों फर्मों का विभिन्न राज्यों में पंजीकरण कराने की जानकारी भी विभाग को नहीं मिल पाती। पिछले छह महीने में प्रदेश के 7 जिलों में ऐसे कई मामले पकड़े गए, जिसमें एक ही मोबाइल नंबर पर 50 से लेकर 300 फर्मों का पंजीकरण कराया गया। एक ही मोबाइल नंबर कई फर्मों के पंजीकरण का पोर्टल पर कोई अलर्ट नहीं है, जिसका फायदा संगठित रूप से टैक्स चोरी के रूप में उठाया जा रहा है।

बैंकिंग की तरह जीएसटी पोर्टल में बदलाव की जरूरत

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जिस तरह बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर बदलते ही इसकी सूचना पूरे बैंकिंग चैनल में अपडेट हो जाती है। उसी तरह जीएसटी पोर्टल में भी बदलाव की जरूरत है। अभी जालसाज जिन दो मोबाइल नंबरों से फर्म का पंजीकरण कराते हैं। महीने भर के अंदर उसे बदल देते हैं और नए नंबर से ई वे बिल बनाने लगते हैं। अप्रत्याशित रूप से ई वे बिल जारी होने के बाद विभाग संदिग्ध पार जाने पर जांच करता है, तब तक करोड़ों का खेल फर्म कर चुकी होती है। पिछले एक माल में ऐसे 20 से ज्यादा मामले पकड़े गए हैं, जिनमें बोगस फों ने 5000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया।

जांच में फर्जी फर्मों की संख्या 122 हुई

मुरादाबाद के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 एसआईबी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में लखनऊ के पते पर दर्ज एके इंटरप्राइजेज को लेकर दूसरे दिन बड़ा खुलासा हुआ। फर्म ने जीएसटी पंजीकरण के लिए दो मोबाइल नंबर दिए थे।

- एक मोबाइल नंबर से देशभर में 60 फर्मों का पंजीकरण किया गया तो दूसरे मोबाइल नंबर की जांच में उससे जुड़ी 62 फर्में पाई गईं। कई फर्मों ने तो 10 से 15 करोड़ का कारोबार भी कर लिया। इस मामले में विभाग ने एफआईआर भी कराई है।

Commerce and Industry Minister Launches Second Edition Of One Lakh Cr Start-up Fund ‘Anusandhan’

Commerce and Industry Minister underscored the need for India to reduce reliance on foreign technologies and strengthen Make in India-driven innovation to achieve long-term technological sovereignty.

Addressing the TiEcon Delhi-NCR conference on the theme ‘India’s Deeptech Moment: From Digital Leadership to Technological Sovereignty’, He said that the spirit of Swadeshi represents resilience and self-reliance amid global uncertainties.

He announced the launch of the second edition of the Startup Fund of Funds to support early-stage deeptech ventures and the Rs 1 lakh crore Anusandhan Fund to finance research and transformative innovation.

He highlighted India’s evolution from being the world’s software provider to a global innovation hub and stressed the importance of resilient supply chains and domestic control over critical technologies, lessons reinforced by the COVID-19 pandemic.

The Minister lauded TiE’s role in supporting young deeptech entrepreneurs, describing the event as a milestone in India’s transition toward a deep technology-driven economy.

Recalling India’s digital transformation since 2014, he noted that internet users have grown from 250 million to over one billion, powering inclusive initiatives such as Jan Dhan Yojana, Aadhaar, DBT, and PM-Kisan.

He said India’s digital progress has driven its economic ascent to the world’s fourth-largest economy, with a goal of reaching third place within two years and achieving a USD 30–32 trillion economy by 2047.

Outlining the government’s vision for a vibrant deeptech ecosystem, the Minister identified focus areas including artificial intelligence, quantum computing, semiconductors, defence and space technologies, and intellectual property development.

Citing India’s vast talent pool of 15 lakh engineers and 24 lakh STEM graduates annually, Goyal urged entrepreneurs to think globally and pursue bold, transformative ideas.

He called for stronger collaboration among startups, investors, and institutions like TiE and IIT alumni to build a robust deeptech ecosystem.

ITR & Audit Deadline Ext ended: November 10 for Audit Reports, December 10 for ITR

In a major relief for taxpayers, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) has announced an extension of key deadlines for filing income tax returns and audit reports for the Assessment Year (AY) 2025–26.

The due date for furnishing the Return of Income under Section 139(1) of the Income-tax Act, 1961—originally 31st October 2025—has been extended to 10th December 2025, the CBDT stated in a notification issued on Wednesday.

This extension applies to assessees covered under clause (a) of Explanation 2 to sub-section (1) of Section 139, which typically includes companies and entities required to get their accounts audited.

Similarly, the “specified date” for furnishing the audit report for the Previous Year 2024–25, which had earlier been extended from 30th September 2025 to 31st October 2025, has now been further extended to 10th November 2025.

The extension is expected to provide additional compliance time to taxpayers, professionals, and businesses amid ongoing reporting and filing pressures.

The CBDT is expected to issue a detailed circular in due course to formalize the announcement.

Indian economy likely to grow faster than expected 6.6% in FY26

The Indian economy will grow slightly faster than previously expected this fiscal year, a Reuters poll showed, as economists raised their forecasts for a second straight month following a surprise 7.8 per cent expansion in the April to June quarter.

That unexpected boost, along with a cut to the country's Goods and Services Tax (GST) timed around the festive season to spur consumer demand, has led most economists in the October 15-24 survey to revise up their full-year forecasts from last month or leave them unchanged.

While a punitive 50 per cent tariff levied by the US on Indian goods is still in place, recent comments from Washington and New Delhi have raised optimism it will be reduced. The Indian economy will grow slightly faster than previously expected this fiscal year, a Reuters poll showed, as economists raised their forecasts for a second straight month following a surprise 7.8 per cent expansion in the April to June quarter. That unexpected boost, along with a cut to the country's Goods and Services Tax (GST) timed around the festive season to spur consumer demand, has led most economists in the October 15-24 survey to revise up their full-year forecasts from last month or leave them unchanged.

While a punitive 50 per cent tariff levied by the US on Indian goods is still in place, recent comments from Washington and New Delhi have raised optimism it will be reduced.

Still, a solid 68 per cent majority of economists, 34 of 50, expect the RBI to cut interest rates by 25 bps in December after holding the repo rate at 5.50 per cent earlier this month. In September's poll, a slight majority had forecast no change

Delhi Govt, CGTMSE Launch Rs 55 Cr Collateral-Free Loan Scheme For MSMEs & Women Entrepreneurs

Delhi government has introduced a new scheme to provide collateral-free loans to small businesses and women entrepreneurs, aimed at bolstering the capital's economic growth and promoting inclusive development.

The initiative, announced by Chief Minister, is designed to improve credit access for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) that often face challenges in securing financing due to a lack of collateral.

As per the Delhi government's FY26 Budget, an initial allocation of Rs 5 crore has been made for the scheme, with a phased contribution of Rs 50 crore planned in collaboration with the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).

The scheme provides a shared guarantee structure between CGTMSE and the Delhi government, lowering the risk for lenders and facilitating easier access to funds for eligible enterprises.

According to PTI, guarantee coverage under the scheme will vary based on the type of borrower.

Small enterprises can avail loans up to Rs 10 crore, with 75 percent of the amount covered by CGTMSE and 20 percent by the Delhi government.

Women entrepreneurs and MSMEs promoted by Agniveers are eligible for loans up to Rs 10 crore as well, with 90 percent coverage provided by CGTMSE and 5 percent by the Delhi government.

For micro enterprises, loans of up to Rs 5 lakh will receive 85 percent coverage from CGTMSE and 10 percent from the Delhi government. Loans ranging between Rs 5 lakh and ₹10 crore will have 75 percent coverage by CGTMSE and 20 percent by the Delhi government.

This framework offers borrowers up to 95 percent total guarantee coverage, significantly reducing lending risk and improving the credit environment for small enterprises.

Officials said the initiative could help reduce entrepreneurs' dependence on personal assets for borrowing, improve access to working capital, and encourage women and defence veterans to start or expand their ventures.

The scheme will extend to sectors including manufacturing, services, retail, and education.

National Traders' Welfare Board Deliberates On Retail Trade Policy & GST Reforms

The 7th meeting of the National Traders' Welfare Board (NTWB) was held today at Vanijya Bhawan in New Delhi, chaired by the Chairman, NTWB.

The session brought together officials and representatives from the trading community to discuss policy priorities, ongoing reforms, and initiatives supporting domestic industries.

At the meeting, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) Joint Secretary underscored the critical role of India's retail trade sector.

He urged members to provide practical and inclusive inputs for the formulation of the upcoming National Retail Trade Policy, with a focus on participation from grassroots-level traders.

A key highlight of the meeting was the discussion on the 'Vocal for Local' campaign to strengthen indigenous industries and promote locally made goods.

Singhi commended the recently implemented Next-Gen GST Reforms, effective September 22, 2025, and highlighted the positive response from traders through the 'GST Bachat Utsav' campaign.

He highlighted that the new GST framework has reduced tax rates across 375 essential and consumer items, including groceries, apparel, medicines, and automobiles, resulting in notable savings for consumers and businesses alike.

According to Singhi, the reforms have made small cars cheaper by about Rs 70,000, while GST reductions on stationery, clothing, footwear, and medicines are expected to yield savings of 7–12 percent.

The GST rate on tractors has been brought down from 12–18 percent to 5 percent, translating to savings of nearly Rs 40,000, while health and life insurance policies are now fully exempt, offering up to 18 percent savings.

Singhi said the focus remains on simplification of procedures, reduction of compliance burdens, financial support, and infrastructure enhancement.

He added that representations from trade bodies and members have been referred to the relevant Ministries and Departments for necessary action and encouraged continued engagement to raise awareness about government welfare schemes for traders.

GST rationalisation to boost organised apparel retail revenue growth by 200 bps: Crisil Ratings

The recent rationalisation of **Goods and Services Tax** (GST) is expected to add about 200 basis points to the **revenue growth** of India's **organised apparel retail sector** this fiscal, keeping it steady at 13-14 per cent for the second straight year, according to a **Crisil Ratings** report.

The shift to a uniform 5 per cent GST on apparel priced below Rs 2,500--from a dual structure of 5 per cent below Rs 1,000 and 12 per cent up to Rs 2,500--is expected to drive demand in the mid-premium segment. Alongside, the fast-fashion and value segments are projected to continue leading growth.

While the GST hike from 12 per cent to 18 per cent on apparel priced above Rs 2,500 has dampened demand in the premium segment--affecting wedding wear, woollens, handlooms, and embroidered clothing--the impact is expected to be limited. The premium segment contributes about 35 per cent of organised apparel sales.

However, with nearly 65 per cent of sector revenue coming from apparel priced under Rs 2,500, gains in the mid and value segments are likely to offset softness at the higher end.

The findings are based on an analysis of around 40 organised retailers, representing nearly one-third of the sector's revenue.

Anuj Sethi, Senior Director, Crisil Ratings said, "Extending the 5 per cent GST slab to apparel priced up to Rs 2,500 boosts price competitiveness across the fast-fashion/value and mid-premium segments, whose customers are price-sensitive. With the timing of the GST rate cut coinciding with the festive season, demand should increase as middle-class spending picks up." "Moreover, benign inflation, easing food cost and faster fashion-refresh cycles will help retailers gain a modest share-of-wallet advantage in discretionary categories, leading to sustained sectoral revenue growth of 13-14% this fiscal," Sethi added.

The report added that this development is notable especially following six consecutive quarters of moderate growth, despite festive seasons and prolonged discounts to boost revenue. Easing inflation and GST reduction will enhance affordability, which would otherwise have remained sluggish.

Assets under management of NPS and APY cross Rs 16 lakh crore-mark

The combined Assets Under Management (AUM) of the central government's two flagship retirement saving schemes -- National Pension System (NPS) and Atal Pension Yojana (APY) -- have crossed the Rs 16 lakh crore-mark.

NPS was launched in 2004 while APY was introduced in 2015.

Marking an important milestone in India's pension journey, the subscriber base has also widened to surpass 9 crore, PFRDA said in a statement.

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has later introduced key initiatives to strengthen the NPS and widen pension inclusion. This includes the Multiple Scheme Framework (MSF), effective from October 1, 2025, which offers greater investment choice. Adding to it is the NPS Platform Workers Model covering gig workers and a Consultation Paper on NPS Overhaul proposing graded payouts and flexible annuity options to enhance retirement adequacy, it said.

Further, the targeted outreach drive aims at expanding coverage among farmers, MSME workers, SHG (self help group) members and other informal sector participants, it said.

This reflects PFRDA's continued focus on inclusion, flexibility, and long-term financial security, it said.

With this achievement, PFRDA remains committed to its vision of ensuring old-age income security for all Indians, it added.

UP Govt Notifies MSME Industrial Estate Policy 2025, Introduces E-Auction For Plot Allotment

The Uttar Pradesh government on Monday formally notified the MSME Industrial Estate Management Policy, 2025, through an order issued by Additional Chief Secretary (MSME) Alok Kumar. With this notification, 19 previous orders related to the matter have been revoked. The policy received state cabinet approval last week. Industrial estates in Uttar Pradesh were originally established in the 1960s, but lacked a formal management framework.

Since 1978, their administration was handled through a series of state government orders, which officials have acknowledged were inadequate. Over time, the estates became financially and operationally burdensome, prompting the drafting of a comprehensive policy aimed at streamlining their management and transforming them into revenue-generating assets.

Under the new framework, industrial plots and sheds will be allotted through e-auctions on a lease or rental basis. Applicants will be required to deposit 10 percent of the plot cost as earnest money.

Entrepreneurs must pay the full cost of plots within three years of allocation, failing which the allotment may be cancelled.

The policy prescribes differential reserve prices for 2025–26: Rs 3,000 per sq. metre in the western region, Rs 2,500 per sq. metre in the central region, and Rs 2,000 per sq. metre in the eastern and Bundelkhand regions.

Rates will be revised upward by 5 percent annually. A 2 percent discount will be offered for immediate full payment.

The government will retain the authority to designate anchor units, while 10 percent of the total plots in each region will be reserved for individuals or firms from the Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories.

The order also outlines conditions under which plot allocations may be cancelled.

नौकरी छोड़ने पर पीएफ खाते से निकासी की उलझन दूर हुई

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से जारी किए गए स्पष्टीकरण से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जो नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय या कारोबार शुरू करने की तैयारी में थे। पहले दावा किया जा रहा था कि नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद ही पूरी रकम निकाली जा सकेगी। ईपीएफओं ने हाल ही में पीएफ निकासी के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। खासतौर पर नौकरी छोड़ने या हटाए जाने की स्थिति में कर्मचारी पीएफ खाते से 12 महीने बाद रकम निकाल सकेगा। इसी तरह पेंशन खाते (ईपीएस) से 36 महीने बाद निकासी संभव होगी। पहले दोनों कोष के लिए यह समयसीमा दो महीने थी। अब इस नियम के बारे में विस्तार से बताते हुए ईपीएफओ ने कहा कि नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद कोई भी कर्मचारी 75 प्रतिशत राशि निकाल सकता है और 12 महीने बेरोजगार रहने के बाद पूरी राशि का निकाला जा सकता है।

चेक से तेज भुगतान के लिए खाते में पर्याप्त राशि जरूरी

आरबीआई चेक भुगतान की प्रक्रिया को और तेज बनाने जा रहा है। तीन जनवरी से देते धारकों ध्यान कि उनके खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो। पर्याप्त बैलेंस न होने की स्थिति में चेक बाउस माना जाएगा। चेकक्लियरेंस का समय घटाने को लेकर आरबीआई ने दो चरण निर्धारित किए हैं।

{ इस मामले से जुड़े जरूरी सवाल-जवाब }

नौकरी छोड़ने पर पहले पीएफ निकासी के नियम क्या थे?

अब तक यदि कोई ईपीएफओ सदस्य किसी भी कारण से दो महीने तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने पीएफ और पेंशन (ईपीएस) खाते से परी रकम निकाले सकता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने यह अवधि बढ़ा दी है।

अब नए नियम क्याहै?

अब नौकरी छोड़ने के तुरंतबाद ही 75 फीसदी रकम पीएफ खाते से निकाली जा सकेगी। शेष रकम एक साल बाद निकालने की अनुमति होगी।

अन्य सदस्य पीएफ खाते से कितनी रकम निकाल सकते हैं?

सदस्य के पीएफ कोष में 25% राशि सेवानिवृत्ति फंड के रूप में सुरक्षित रहेगी। सदस्य अपने पात्र शेष का 100% कभी भी निकाल सकता है। इसके लिए 12 महीने की सेवा पूरी होनी जरूरी है।

अन्य सदस्य पीएफ खाते से कितनी रकम निकाल सकते हैं?

सदस्य के पीएफ कोष में 25% राशि सेवानिवृत्ति फंड के रूप में सुरक्षित रहेगी। सदस्य अपने पात्र शेष का 100% कभी भी निकाल सकता है। इसके लिए 12 महीने की सेवा पूरी होनी जरूरी है।

EPFO

ईपीएफओं को नियमों क्यों बदलाव करना पड़ा?

संगठन के अनुसार, अगर कोई अपनी नौकरी छूटने के दो महीने बाद संपूर्ण राशि निकाल लेदा था तो उसकी सेवा अवधि ब्रेक हो जाती थी। 10 साल की निरंतर सेवा पेंशन के लिए अनिवार्य है।बार-बार पैसा निकालने से यह 10 वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी नहीं हो पाती थी और कर्मचारी पेशन के लाभ से वंचित रह जाता था।

बदले नियमों से सदस्यों का क्या फायदा होगा?

नए नियम पीएफ और पेंशन कोष से जल्द रकम निकालने की प्रवृत्ति को रोकेंगे। निकासी की अवधि बढ़ाने से कम लोग अपना पीएफ खाता पूरी तरह बंद करेंगे, जिससे वे एक ही यूएएन खाते (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) के तहत जुड़े रहेंगे। इससे बेरोजगार सदस्य को दो माह फिर से रोजगार मिलता है तो वह ईपीएफओ की योजनाओं से बिना किसी रुकावट के जुड़ा रहेगा। इससे उसकी सेवा अवधि की गणना जारी रहेगी और वह पेंशन पाने का पात्र बना रहेगा।

आंशिक निकासी के क्या प्रावधान किए गए है?

कर्मचारी अब शादी और घर आदि के लिए एक-एक साल के अंतराल पर भविष्य निधि से पैसे निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 5-7 वर्ष की थी। विशेष परिस्थिति में रकम बिना किसी कागजात के आसानी से निकाली जा सकती है।

होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में नियोजित श्रमिकों को देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में नियोजित कर्मचारियों को रा०सं० 513/36-1-2016-1075 (एस०टी०)/85, दिनांक 18.04.2016 के प्राविधानानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 239 अंकों के ऊपर जनवरी, 2025 से जून, 2025 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत अंक 414 पर दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक निम्नलिखित दृष्टांत की भांति उनकी मूल मजदूरी को शत प्रतिशत निष्प्रभावी करके परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता देय है।

दृष्टांत - रू0 6350/- प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को दिनांकः 01.10.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत् है :-

$$\frac{(414-239)X6350}{239} = 4649.58 \text{ रू0 प्रतिमाह रू० प्रतिमाह}$$

विभिन्न मासिक मजदूरियों पर देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता प्रतिमाह निम्नवत् है :-

होटल और रेस्टोरेन्ट के वर्ग	श्रेणी	मूलवेतन	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	कुल योग प्रतिमाह	दैनिक मजदूरी
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल और रेस्टोरेन्ट एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये तथा जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं	अकुशल	6350	4649.58	10999.58	423.06
	अर्द्धकुशल	7000	5125.52	12125.52	466.36
	कुशल	7840	5740.58	13580.58	522.33
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल और रेस्टोरेन्ट एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये तथा जिनमें 10 से अधिक कर्मकार नियोजित हैं	अकुशल	6730	4927.82	11657.82	448.37
	अर्द्धकुशल	7420	5433.05	12853.05	494.34
	कुशल	8310	6084.72	14394.72	553.64
	अति कुशल	8975	6571.65	15546.65	597.94
स्टार होटल एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले अन्य प्रतिष्ठान चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये	अकुशल	7540	5520.92	13060.92	502.34
	अर्द्धकुशल	8980	6575.31	15555.31	598.28
	कुशल	10640	7790.89	18430.79	708.87
	अति कुशल	12565	9200.31	21765.31	837.12

(पंकज सिंह राणा)
उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी०टी० रोड, कानपुर।

पत्र संख्याः 1372-78 / आई०आर०(वे०बो०हो०/रे0-7)/2025 दिनांक 27.10.2025

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ को अवगत कराएं तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2. अध्यक्ष / महामंत्री श्रमिक संघ (सीटू/एच.एम.एस./बी.एम.एस./ इण्टक/एटक/एक्टू)।
3. सेवायोजक (यू.पी.एच.आर.ए.) ।
4. उप श्रमायुक्त, प्रवर्तन, मुख्यालय ।
5. पुस्तकालय प्रभाग, मुख्यालय, कानपुर।
6. नोडल अधिकारी, आई०टी०सेल, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
7. उप श्रम आयुक्त, उ०प्र०, नजारत को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।

(पंकज सिंह राणा)
उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।